



The Bodhgaya Temple (Amendment) Act, 2013

Act 11 of 2013

Keyword(s):
Temple

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 650) पटना, मंगलवार, 13 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2013

सं० एल0जी0-1-17/2013/लेज:141—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2013]

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।- चूँकि, धर्म निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान का प्रतीक है और धर्म निरपेक्षवाद संविधान की मौलिक विशेषता है और बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) के परंतुक का प्रावधान धर्मनिरपेक्षवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, इसलिए उक्त परंतुक को विलोपित करना आवश्यक एवं समीचीन है।

भारत-गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।-** (1) यह अधिनियम बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार अधिनियम 17, 1949 की धारा-3 का संशोधन।-** उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (3) का परन्तुक विलोपित किया जायगा।

13 अगस्त 2013

सं० एल०जी०-1-17/2013/142/लेज:।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापरित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत **बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

THE BODHGAYA TEMPLE (AMENDMENT) ACT 2013**[Bihar Act 11, 2013]**

AN

ACT

to make amendment in Bodh Gaya Temple Act 1949.

Preamble .- Whereas the Constitution of India stands for a secular state and secularism is a basic feature of the Constitution and the provision in proviso to sub section (3) of section 3 of the Bodhgaya Temple Act, 1949 is prejudicial to

secularism; therefore it is necessary and expedient to delete the said proviso.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in Sixty fourth year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title and Commencement.** – (1) This Act may be called the Bodhgaya Temple (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall come into force at once.
2. **Amendment of section 3 of Bihar Act 17, 1949.**– The proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act shall be deleted.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 650-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>